प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 975 सन 2021
अनवान :–

1. बुज्जाराम पुत्र जग्गाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लड्डूराम पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बोडसिह पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. राजा पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 98/98 की कुल 14.2820हैक्ट में से पुन्नूराम पुत्र लालदास के नाम 253/7141 हिस्सा भूमि दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुन्नूराम पुत्र लालदास के नाम से दर्ज है पुन्नूराम पुत्र लालदास ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 02.04.2008 को वादी के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी पुन्नूराम पुत्र लालदास का देहान्त दिनांक 13.12.2015 को हो चुका है पुन्नूराम पुत्र लालदास की वसीयत दिनांक 02.04.2008 के अनुसार वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि पुन्नूदास के वारिसान के नाम से दर्ज है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुनूराम पुत्र लालदास के नाम से दर्ज है पुनूराम पुत्र लालदास ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में की गई थी पुनूराम पुत्र लालदास का देहान्त हो चुका है पुनूराम पुत्र लालदास की वसीयत के अनुसार वादी पुनूराम पुत्र लालदास के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड भूमि को वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 98/98 की कुल 14.2820हैक्ट में से पुन्नूराम पुत्र लालदास के नाम 253/7141 हिस्सा भूमि दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि उनके पूर्वज पुनूराम पुत्र लालदास के नाम से दर्ज हे पुनूराम पुत्र लालदास ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवाई गई थी पुनूराम पुत्र लालदास का देहान्त हो चुका है वादी पुनूराम पुत्र लालदास के वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवदन किया की वाद भूमि वाद के हक हिस्सा की भूमि है जो उसके कब्जा काश्त में है वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 98/98 की कुल 14.2820हैक्ट में से पुन्नूराम पुत्र लालदास के नाम 253/7141 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– थालडका

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर
अनवान :–

1. बुज्जाराम पुत्र जग्गाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लडूराम पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बोडसिह पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. राजा पुत्र पुन्नूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक–21.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 98/98 की कुल 14.2820हैक्ट में से पुन्नूराम पुत्र लालदास के नाम 253/7141 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....थालडका

सत्यमेव जयते